

रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)(एस-27/2008)/अलेसे-III/ 4450-53

दिनांक- 14.6.12

सुरेन्द्र कुमार जैन,
पुत्र श्री शान्ति लाल जैन
शान्ति गेस्ट हाउस के पास,
सुभाष नगर, विजयनगर,
जिला अजमेर पिन नं. 305624

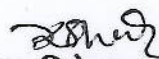
विषय :- कार्य ग्रहण अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- आपका फैंक्स दिनांक 07.08.2012

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण अवधि बढ़ाने हेतु लिखा गया है। विभागीय आदेश क्रमांक 4181-84 दिनांक 23.07.2012 के द्वारा दिनांक 31.07.2012 तक की कार्यग्रहण करने हेतु छूट प्रदान की गई थी। परन्तु पत्र देरी से मिलने के कारण दिनांक 31.08.2012 तक की कार्यग्रहण अवधि बढ़ाई जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.08.2012 तक आवश्यक रूप से कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पदस्थापन कार्यालय में कार्य ग्रहण कर इस विभाग को सूचित करें। निश्चित तिथि तक कार्य ग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्रवाई की जावेगी।

भवदीय,

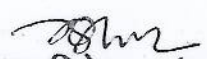

संयुक्त निदेशक, (कार्मिक-II)

क्रमांक एफ.4(ई)(एस-27/2008)/अलेसे-III/ 4450-53

दिनांक-14.8.12

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़।
2. कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
3. कम्प्यूटर वेबसाईट हेतु
4. पदस्थापन सीट/गार्ड फाईल।


संयुक्त निदेशक, (कार्मिक-II)